सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक –10. 11.2011 एवं ज्ञापांक /2905 दिनांक 11.07.14 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0 श्री रामानुज प्रसाद, सोनपुर वि0स0 द्वारा प्रखंडवार/नगरनिकायवार वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुमोदित योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –02, सोनपुर के द्वारा योजनावार प्राक्कलित राशि पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पत्रांक 1336 दिनांक 2.12.2018 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभि0 संगठन, कार्यप्रमंडल – 02, सोनपुर के द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि पर उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा के पत्रांक 1774 दिनांक 06.12. 2018 द्वारा सात निश्चय से विलोपन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आधर पर निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0	प्रखण्ड	स्वीकृत योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	माननीय विधायक का नाम
1	सोनपुर	शाहपुर दियारा पंचायतान्तर्गत शाहपुर पहलेजा में राजेन्द्र राम के घर से सामु ठाकुर के घर तक पी0सी0सी0 सड़क सह नाला निर्माण कार्य।	782400.00	782400.00	श्री रामानुज प्रसाद
		कुल योगः–	782400.00	782400.00	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– (सात लाख बेरासी हजार चार सौ रुपये मात्र।)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :– उक्त स्वीकृत योजना का कार्य विभागीय/निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल– 02, सोनपुर द्वारा योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 5255 दिनांक 23.06.14 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार के द्वारा विभागीय/ निविदा आमत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यन्वयन की शर्ते

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरूद्ध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी।
2. सरकार के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5225 दिनांक – 23.09.14 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत योजनाओं के लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना–कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबधित प्रशासी विभाग को स्थानातरिंत किया जा सके।

10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू–दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय, सारण, छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1080 **/यो० दिनांक** 22/12/2018

प्रतिलिपि :–कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल –02, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करेगे।
प्रतिलिपि :–सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे/अंचलाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त योजना का जमीन प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय स०वि०स० को सूचनार्थ प्रेषित।

22.12.18

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।